



Neutral Citation No. - 2026:AHC:3705

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 39329 वर्ष 2025

श्रीमती सुनीता देवी उर्फ छोटी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : विश्वेन्द्र सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वेन्द्र सिंह के होल्डिंग ब्रीफ श्री संदीप मिश्रा तथा श्री योगेश मिश्रा, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 305 वर्ष 2024, धाराओं 103(1), 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना बरहन, जिला आगरा के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहती है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त राहुल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9.10.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 16676 वर्ष 2025 में पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि आवेदक का मामला उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने की अधिकारी है।



5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक दिनांक 6.12.2024 से जेल में बंद है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी तथा विचारण में सहयोग करेगी।
6. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है कि शव की बरामदगी केवल आवेदक के इशारे पर हुई है तथा उसके अपने कृषि क्षेत्र से हुई है, अतः वह जमानत पाने की अधिकारी नहीं है।
7. प्रतिउत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सभी अभियुक्तों को अभिरक्षा में लिया गया था और शव की बरामदगी उनके संयुक्त इशारे पर करने का आशय था। स्थानीय बाधाओं के कारण केवल आवेदक को बरामदगी स्थल पर ले जाया गया, जिसके परिणामस्वरूप शव की बरामदगी उसके इशारे पर हुई। तथापि, यह परिस्थिति अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती कि बरामदगी विशेष रूप से आवेदक के इशारे पर हुई अथवा उसे कोई एकल आपराधिक भूमिका दी जा सकती है, विशेषकर जमानत विचार की अवस्था में। अतः आवेदक समानता के आधार पर जमानत पाने की अधिकारी है।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नब्बन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 आपराधिक एल.जे. 938** में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021** तथा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
9. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **श्रीमती सुनीता देवी @ छोटी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगी।



- ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगी।
 - iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

सिद्धांत